''प्राचीन काल में पर्यावरण संरक्षण एवम् शासकों का योगदान''

*डॉ. ताराचन्द बैरवा
*कुवेर सिंह मीना

पर्यावरण का अर्थ है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के परिवेश। प्राकृतिक तत्वों में मिट्टी, हवा और पानी है जिनके सहारे पशु–पौधें और मनुष्य जीवित रहते है। पर्यावरण मानवीय प्रयासों की दिशा प्रदान करता है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी कहावत, पृथ्वी और प्राकृतिक संसाधन हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिले, इसे हमने बच्चों से उधार लिया है, इसलिए उसे आगामी पीढ़ी के लिए ब्याज समेत लौटाना है। उपरोक्त कथन पर्यावरण संरक्षण की महत्तता को स्पष्ट कराता है।

पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। वर्तमान भौतिकवाद एवं बढ़ती आबादी और बढ़ते कंक्रीट के जंगल की प्रतिस्पर्धा में हमारे जीवों एवं जंगलों ;थ।न्छ। – थ्स्व्।द्ध को कैसे बचाया जाए। इसका उपाय हमारे पूर्वजों में हमें विरासत में दिया है। वो है– 'ओरण संस्कृति' ये ओरण समूचे विश्व में विशेष रूप से भारत में विभिन्न देवी–देवताओं के नाम से स्थापित किये जाते है। जिन्हें देववनी, देवभूमि, काकंडवनी एवं अरण्य इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। उन्हें धार्मिक भावनाओं से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य इनका उचित संरक्षण है। 'ओरण' एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ सूर्य नमस्कार अर्थात् ईश्वर में आस्था, प्रार्थना। 5000 वर्ष पूर्व यूनानी सभ्यता में ओरण का महत्व रहा था। मिश्र के पिरामिडों का वन क्षेत्र हो या बेबिलोनियन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सभी धर्मों के आराधना स्थल जैसे चर्च, मंदिर, मजिस्द से जुड़ी हुई भूमि 'ओरण' है। जो विश्व के सभी क्षेत्रों में आज भी अस्तित्व में है। वैदिक संस्कृति के अनुसार पेड़–पौधों में विभिन्न देवी–देवताओं का निवास माना गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य इनका संरक्षण कार्य करें तो 'ओरण' संरक्षण के तीन– स्तम्भ राज, समाज और दानदाता थे, ये सब मिलकर कार्य करें तो 'ओरण' संरक्षण निश्चित रूप से सफल होगें। हमारी सभ्यता प्राचीन काल से ही प्रकृति के साथ सांमजस्य बैठाकर चक्र चलाने वाले समाजों में से एक है। अर्थशास्त्र में जंगलों के आर्थिक महत्व को ध्यान में रखकर उसकी तीन श्रेणीयों बतलाई गई है। शिकार के जंगल, वन वस्तुओं के जंगल, और हाथियों के जंगल। जंगलों का सैनिक दृष्टि से भी महत्व था। कौटिल्य के अनुसार एक ऐसा वन जिसमें नदी भी हो, राजा की शत्रुओं से रक्षा कर सकता है।[1] (कौटिल्य, वही 7,12) प्राचीन काल में नदियों को देवतुल्य माना गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को देवी कहा गया है। पृथ्वी और जल, पौधों और पशुओं के उद्धारक है। उन्हें हमें माँ का रूप मान सकते है। कई पेड़–पौधे, जिनमें नीम, पीपल, वट और तुलसी को भी पवित्र माना गया है। इनमें से कई पौधै जड़ी–बूटियों में भी थे मनुष्य अपनी शारीरिक व्याधियों को ठीक करने में उपयोग में लाते थे। प्राचीन इतिहास में सिन्धु सरस्वती सभ्यता में पर्यावरण संरक्षण के उल्लेख मिलते है जिनमें नगर नियोजन, दुर्ग, साफ–सफाई वृक्ष एवं पौधों की पूजा। आर्य सभ्यता में भी सतत् पर्यावरणीय चेतना की जागरूकता दिखलाई पड़ती है। 'अरण्यानी जो जंगलों की रानी है वो वैदिक ऋषियों के द्वारा संपोषित होती है। वेदों में हमें ढेरों उदाहरण मिलते है, जिनमें 'अरणयानी पौधों एवं जंगली जानवरों की रक्षा करती है। (ई.पू. 600 से 200 ई.पू.) गौतम बुद्ध के जीवन काल में लोगों ने सिंचाई के लिये खेतों के बीच में नहरें और नालियाँ बनाई है।[2] अभियन्ताओं ने पानी पहुंचाने के लिए नई योजनाएँ कार्यावित्त की।[3] जातकों से पता चलता है। कि लोगों ने सहकारिता के आधार पर नहरें और तालाब बनाये।[4] कनिष्क द्वितीय ने आरा अभिलेख में लिखा है कि दसफोठ, नामक व्यक्ति ने जनसाधारण की भलाई के लिए एक कुआं खुदवाया और राजा ने उसके लिए एक लाख सिक्कों का दान किया। दक्षिण भारत में पुलमावी–द्वितीय के राज्यकाल में एक गृहपति ने कुआँ खुदवाया।

मौर्यकाल में सिंचाई की नालियों का निरीक्षण करने के लिये एक अलग सरकारी अधिकारी था।[5] रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है। कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई जिसका बाँध टूट जाने पर धन से उसकी मरम्मत करवाई। गाथा सप्तशती से ज्ञात होता है कि संभवत् सबसे पहले रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए इस काल में किया।[6]

ई.पू. (600 से 300 ई. तक)

बुद्ध और महावीर ने पौधों की रक्षा करने का उपदेश दिया[7] ''अशोक ने अपनी राजाज्ञा द्वारा जंगलों को जलाने की मनाई कर दी। मनु ने लिखा जो व्यक्ति हरे पेड़ को काटे उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जायें।[8] रामायण में कुछ विशिष्ट वनों की रक्षा के उदाहरण मिलते है। दक्षिण भारत में एक चंदन वन की रक्षा गन्धर्व करते थें[9] सुग्रीव के मधुवन का वनपाल दधिमुख अनेक सैनिकों, सहित उसकी रक्षा करता था। बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं के कारण अहिंसा का सिद्धान्त बहुत लोकप्रिय हो गया। कौटिल्य ने भी लिखा है कि जंगल धार्मिक क्रियाओं के लिए निर्दिष्ट हो उनमें राजा को सब पशु–पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए[10] अशोक ने अपनी राजाज्ञों द्वारा व्यर्थ की पशु–पक्षियों की हिंसा को कम करने का प्रत्यन किया था।[11] मनुस्मृति, जो उत्तर वैदिक कालीन रचना है, ग्रन्थ में पर्यावरण संरक्षण के बारे में विस्तृत अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती है। कई विद्वान तो यहां तक कहते है कि यह विश्व का पहला ग्रंथ है और मानव विधि संहिता का प्रथम नीति 'शास्त्र' है। जहाँ प्रदूषण को रोकने के लिए उदाहरण है। उन्होंने 'चारा' और 'अचारा' शब्दों का प्रयोग किया है। मनुस्मृति में पालतु पशुओं, जीवों एवं जंगलों के संरक्षण, साथ ही फसलों को नष्ट करने वाले कीटों के बारे में भी चर्चा की है। ग्रंथ में एक उल्लेखनीय अध्ययन यह भी मिलता है कि जैव विविधता को बचाएं एवं संरक्षित रखने में कहा कि मछलियों को खाद्य आहार के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मैगस्थनीज के अनुसार हाथी और घोड़े पालने का एकाधिकार राजा का था।[12] बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं के कारण अहिंसा का सिद्धान्त बहुत लोकप्रिय हो गया। कौटिल्य ने भी लिखा है कि जो जंगल धार्मिक क्रियाओं के लिये निर्दिष्ट हो उनमें राजा को सब पशु–पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।[13] पशुओं के आर्थिक महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा के लिए कौटिल्य ने अनेक नियम प्रतिपादित किए।

मौर्यवंशी नरेशों में चन्द्रगुप्त और अशोक महान् ने अपने 'शासनकाल' के दौरान जनकल्याणकारी एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यों में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की। उक्त कार्यों की पुष्टि अशोक के अभिलेख करते है। जीव हिंसा का निषेध उन शासकों का परम ध्येय था। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण सिद्धान्त था। अपने पांचवें स्तम्भ लेख में अशोक कहता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद अनेक प्राणियों के अवध्य (ना मरने योग्य) घोषित कर दिया। इस अभिलेख में उन पशु–पक्षियों की एक लम्बी सूची दी गई है। जिनकी हत्या पर अशोक ने प्रतिबंध लगा दिया। पशुओं को दागने की प्रथा को भी अशोक ने नियंत्रित कर दिया। 7वें स्तम्भ लेख में अशोक का कथन है कि, ''मार्गों में मेरे द्वारा वट–वृक्ष लगवाए गए जो पशुओं और मनुष्यों को छाया सुख देगें।''

''सप्तम् स्तम्भ अभिलेख (देहली–टोपरा स्तम्भ) में वर्णित पर्यावरण संरक्षण

11. देवनापियों पियदसी लाजा हेव आहा ये अतिकंत
12. अंतल लाजानें हुसु हेंव इछिसु कथजने
13. धर्मवढ़िया बढ़ेगा नो चु जने अनुलु पाया धमवड़िया
14. बढ़िथा एंत देवानपियें पियदसी लाजा हेव आहा एसे
15. हुथा अंतिकंत च अंतल हेव इछिसु लाजाने कथजनें
16. अनुलुपाया र्धमबढ़िया बढगा ति नो जाने अनुलुवासा
18. किनसु जने अनुलुभाया घंमवढ़िया बढ़ेगा ति किनसु कानि
17. धर्मबढिया बढ़िया सं किनसु जने अनुपटि पजेया

18. अवध्य (अनांलभ) वध न करनां इसका उद्देश्य सामानयतः प्राणियों की हत्या रोकना है। चतुर्थ शिलालेख एवं पंचम स्तम्भ अभिलेख के आधार पर स्पष्ट होता है कि अशोक को अनेक पशुओं का वध रोकना चाहता था। परन्तु वह सभी पशुओं अथवा पक्षियों का वध रोकने में सफल नहीं हो सका।

पंचम स्तम्भ अभिलेख में पशु एवं पक्षियों की सूची से स्पष्ट है कि प्रबंध का सिद्धान्त एक सीमित क्षेत्र तक था। एवं यह सूची आप स्तम्भ एवं विशिष्ट धर्मसूत्र से मिलती जुलती है। डॉ. बरुआ का विचार है कि अहिंसा एवं अनांलभ 'शब्द' एक दूसरे के पूरक है। अमरकोश में ज्ञात होता है। गुप्तकाल में नदियों से नहरें निकाली गई थी।[14] नहरों से नदियों की बाढ़ से हानि रोकने या कम करने के लिए भी नालियाँ निकाली जाती थी।[15] समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से भी वनों के संरक्षण के अनेकों उदाहरण मिलते है।[16]

***व्याख्यातां, इतिहास विभाग**
***व्याख्याता, हिन्दी विभाग**
राजकीय पी.जी. कॉलेज, दौसा

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. कौटिल्य, वही 7, 12
2. महावग्ग, 8.12, 1–2
3. चल्लवग्ग 8.12, 1–2
4. जातक, 1, 336
5. स्ट्रेबों 15, 1, 50
6. गाथा सप्तसती 10, 59 उद्धत ले0 गोपाल
7. जैकोबी, जैन सूत्रास 2 पृष्ठ 357 महावग्ग, 3, 1–3 चुल्लवग्ग 5, 32,1
8. महाभारत 12, 32.14; 12, 36, 14
9. रामायण 4, 41, 41
10. महाभारत, शांतिपर्व 261
11. शिलालेख 2, स्तम्भ लेख 2 और 7
12. स्ट्रेबों 15, 1, 41
13. शिलालेख 2, स्तम्भ लेख 2 और 7
14. अमरकोश 9, 36 पृष्ठ संख्या 67
15. अमरकोश 9, 7 पृष्ठ संख्या 62
16. फ्लीट पृष्ठ संख्या 7